1156FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम ....बेगूँ.......

संजय कुमार पुत्र लादूलाल ब्राम्हण बनाम श्यामलाल पुत्र मांगीलाल ब्राम्हण करम मुकदमा .

दावा में दावा अ.धा. 88 रा0काश्त0अधि0 नं0 ....132/16......... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.12.2020	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 763 दिनांक 23.11.2020 के साथ रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत बिछोर व नकल जमाबंदी मौजा नाल प0ह0 खेडी की संलग्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि विचाराधीन प्रकरण में मौजा नाल की आराजी खसरा संख्या 166, 415, 421, 422, 423, 711, 712 किता–7 कुल रकबा 1.23 हैक्टर भूमि में वादी द्वारा विकय कर दी गयी है । उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल पिता मांगीलाल ब्राम्हण के पक्ष में नामान्तरण संख्या 1133 ग्राम नाल दर्ज होकर दिनांक 07.09.2020 के प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। संलग्न नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि नामा0सं0 1133 दिनांक 07.09.2020 रजि. विकय से खाते में संजय कुमार पुत्र लादूलाल 2/5 के बजाय श्यामलाल पिता मांगीलाल 2/5 दर्ज करने की स्वीकृति का नोट लालस्याही से अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तूत वाद पत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त वर्णित आराजी में अपना हिस्सा 2/5 पृथक करा विभाजन कराने का वाद प्रस्तुत किया था जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2019 को प्राथमिक डिकी किया गया था, चूँकि वादी द्वारा दौराने वाद अपनी हिस्से का सम्पूर्ण बेचान करने से वादी का हिस्सा अब उक्त आराजी में नहीं रह जाता है ऐसी स्थिति में वादी उक्त वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर पाने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राज0 काश्त0अधि0 दौराने वाद भूमि विकय किये जाने से दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:44:24 IST
Reason: SelfAttested